न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

विक्रम सिंह वगै0 बनाम मनोज कुमार वगै०
विविध वाद संख्या –09/2024
U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. विक्रम सिंह, पिता भोला सिंह, साकिन– बरियोन मस्केडीह, थाना–चलकुसा, जिला– हजारीबाग।
2. संतोष कुमार पिता नारायण महतो साकिन– अम्बाडीह, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. मनोज कुमार, पिता– स्व0 बुधन महतो,
2. बैजनाथ महतो, पिता– स्व0 बुधन महतो, साकिन अम्बाडीह, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी बगोदर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात प्रारंभ किया गया। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों के सदस्यों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
अम्बाडीह	05	222	17 डी०	उ0– उत्तीम कुर्मी, द0– परती कदीम, पु0– चमन कुर्मी, प0– परती कदीम

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 24.11.2023 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 4 पृष्ठ – **प्रदर्श 1A**
2. अभिप्रमाणित सत्यापित खतियान की छायाप्रति – कुल 3 पृष्ठ – **प्रदर्श 1B**

C.C. Issued 14/6/24

23.03.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

(2)

3. बकास्त के नाम से ऑनलाइन पंजी II की छायाप्रति – कुल 1 पृष्ठ – **प्रदर्श 1C**
4. ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति (रसीद संख्या – 016285, दिनांक – 06.02.2016) – कुल 1 पृष्ठ – **प्रदर्श 1D**
5. विक्रम सिंह के आधार कार्ड की छायाप्रति – कुल 1 पृष्ठ – **प्रदर्श 1E**
6. संतोष कुमार के आधार कार्ड की छायाप्रति – कुल 1 पृष्ठ – **प्रदर्श 1F**

प्रथम पक्ष के लिखित आवेदन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 03 – यह कि प्रथम पक्ष को उक्त जमीन बजरीये सर्वे खतियान से हासिल है, जो खतियान प्रथम पक्ष के पूर्वज इसर सिंह वगैरह लगान पाने वाला दर्ज है, वो उक्त खतियान बकास्त खाते की खतियान है।

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह जमीन मौजा– अम्बाडीह, थाना– बगोदर, अंचल – बगोदर, थाना नं0 – 112, हल्का नं0 – 6, खाता संख्या–05, प्लॉट संख्या– 222, रकवा– 17 डी0, चौहद्दी – उ0– उत्तीम कुर्मी, द0– परती कदीम, पू0– चमन कुर्मी, प0– परती कदीम है।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि प्रथम पक्ष के पूर्वज को उक्त जमीन बंटवारा वाद संख्या–183/1967 से हिस्से में प्राप्त है जिसका जमाबंदी अंचल कार्यालय, बगोदर के जमाबंदी पंजी–II के भाग संख्या– 01, पेज संख्या– 05 में दर्ज है जिसका मालगुजारी रसीद लगातार निर्गत होते आ रहा है।

पुनः दिनांक 15.02.2024 को प्रथम पक्ष के द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया –

1. बकास्त खाता नं0 – 5 (लगान पाने वाले ईश्वर सिंह) की सत्यापित छायाप्रति – कुल 3 पृष्ठ, **प्रदर्श 1G**
2. खाता नं0 – 8, उत्तीम कुर्मी के खतियान की छायाप्रति – कुल 2 पृष्ठ, **प्रदर्श 1H**
3. खाता नं0 – 11, गांगो कुर्मी के खतियान की छायाप्रति – कुल 4 पृष्ठ, **प्रदर्श 1I**
4. खाता नं0 – 14, धोकल कुर्मी के खतियान की छायाप्रति – कुल 1 पृष्ठ, **प्रदर्श 1J**
5. खाता नं0 – 12, चमन कुर्मी के खतियान की छायाप्रति – कुल 1 पृष्ठ, **प्रदर्श 1K**
6. मौजा – अम्बाडीह, थाना – बगोदर के तेरीज की छायाप्रति – कुल 3 पृष्ठ, **प्रदर्श 1L**
7. केवाला संख्या – 10888, दिनांक – 08.09.2010 (विकेता – जगदीश सिंह वगै0, केता – श्री नारायण महतो) की छायाप्रति – कुल 17 पृष्ठ, **प्रदर्श 1M**
8. समान्य अधिकार पत्र संख्या – 854, दिनांक – 07.12.2013 – कुल 17 पृष्ठ, **प्रदर्श 1N**
9. समान्य अधिकार पत्र संख्या – 1389, दिनांक – 08.09.2010 – कुल 06 पृष्ठ, **प्रदर्श 1O**
10. समान्य अधिकार पत्र संख्या – 163, दिनांक – 07.04.2012 – कुल 12 पृष्ठ, **प्रदर्श 1P**
11. समान्य अधिकार पत्र संख्या – 498, दिनांक – 19.05.2015 – कुल 11 पृष्ठ, **प्रदर्श 1Q**
12. केवाला संख्या – 224, दिनांक – 17.01.2019 (विकेता – संतोष कुमार वगै0, केता – श्रीमति भीखनी देवी) – कुल 19 पृष्ठ, **प्रदर्श 1R**
13. केवाला संख्या – 197, दिनांक – 16.01.2019 (विकेता – संतोष कुमार वगै0, केता – श्रीमति झलवा देवी) – कुल 07 पृष्ठ, **प्रदर्श 1S**
14. बंटवारा वाद संख्या – 183/67 – कुल 07 पृष्ठ, **प्रदर्श 1T**

23.03.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 15.02.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श 2A**
2. खाता नं0 – 5, भीखन कुर्मी के नाम से सर्वे खतियान की छायाप्रति – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श 2B**
3. भीखन कुर्मी के नाम से ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति (रसीद संख्या – 891956, 825840, 330345, 638785, 638799 दिनांक – 03.08.1985, 13.08.1977,14.03.1983, 18.05.1994, 21.07.2000) – कुल 5 पृष्ठ – **प्रदर्श 2C**

द्वितीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 01 – यह कि उक्त वाद प्रथम पक्ष मौजा – अम्बाडीह, थाना – बगोदर, अंचल – बगोदर, थाना नं0 – 112, खाता नं0 – 5, प्लॉट नं0 – 222, रकबा – 17 डी0 चौहदी उ0 – उत्तीम कुर्मी, द0 – परती कदीम, पू0 – चमन कुर्मी, पं0 – परती कदीम पर वाद लाया गया है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02 – यह कि सर्वे खतियान के अनुसार खाता नं0 – 5 रैयती खाते की है, जिसमें रैयत भीखन कुर्मी वल्द जोधो कुर्मी के नाम से दर्ज है। खाता नं0 – 5 के जमाबंदी पंजी 2 के पेज नं0 – 120, भाग – 01 में रैयत जोधो कुर्मी के नाम से दर्ज है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 03 – यह कि सर्वे सेटलमेंन्ट खाता नं0 – 5 रैयत भीखन कुर्मी वल्द जोधो कुर्मी के नाम से दर्ज है, लेकिन खेवट संख्या – 2/3 में लगान पाने वाला का नाम कमख्या नारायण सिंह दर्ज है।

थाना बगोदर का प्रतिवेदन –

थाना बगोदर का DR No. 115/2024, दिनांक – 23.01.2024 – प्रदर्श 3A

अंचल बगोदर का प्रतिवेदन –

अंचल बगोदर का पत्रांक – 93 दिनांक – 02.02.2024 – प्रदर्श 4A

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है –

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
अम्बाडीह	05	222	17 डी०	उ0– उत्तीम कुर्मी, द0– परती कदीम, पु0– चमन कुर्मी, प0– परती कदीम

2. प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त विवादित भूमि बकास्त खाता की भूमि है जो उनके पूर्वज की है, तथा अपने कथन के समर्थन में खाता 05 के खतियान की सत्यापित प्रति संलग्न की गई है।

23.03.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

3. प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि प्रथम पक्ष के पूर्वज को बंटवारा वाद संख्या 183 / 1967 से प्राप्त हुई है, जिसकी जमाबंदी अंचल कार्यालय बगोदर के जमाबंदी पंजी II, भाग संख्या 01, पेज संख्या 05 पर दर्ज है तथा लगान रसीद निर्गत हो रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा इसके समर्थन में बंटवारा वाद संख्या 183 / 1967 की प्रति, ऑनलाइन जमाबंदी तथा ऑफलाइन रसीद की कॉपी संलग्न किया गया है।

4. द्वितीय पक्ष के द्वारा खाता 05 को रैयती खाता बताते हुए ऑफलाइन खतियान की कॉपी समर्पित की गई है तथा साथ में कुछ लगान रसीद भी संलग्न किया गया है, और इसी के आधार पर द्वितीय पक्ष उक्त विवादित जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं।

5. अंचल का प्रतिवेदन पत्रांक – 93, दिनांक – 02.02.2024 में यह प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा – अम्बाडीह, थाना नं0 – 112, खाता नं0 – 05, प्लॉट नं0 – 222, रकबा – 17 डी0 खतियान के अनुसार बकास्त खाता की भूमि है।

अंचल के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष का दावा, कि खाता 05 बकास्त खाता की भूमि है, सही है; तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित खाता 05 का रैयती खातियान False And Fabricated है।

अतः प्रथम पक्ष का दावा सही है, जबकि द्वितीय पक्ष का दावा गलत है एवं **False And Fabricated** दस्तावेज पर आधारित है।

अतः प्रथम पक्ष के पक्ष में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है; तथा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को संपुष्ट किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष को उक्त विवादित जमीन पर जाने से रोका जाता है।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

23.03.2024   23.03.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया। (अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह))

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया। (अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह))

C.C. Issued 14/6/24

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.19 15:46:47 +05:30
Location: 192.168.1.9